मूलवाद संख्या– 30/2018

दिनांक–25.11.2021

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को वाद बिन्दु संख्या 5 व 6 पर सुना गया।

निस्तारण वादबिन्दु संख्या 5:–

उक्त वादबिन्दु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वाद अल्प मूल्यांकित है?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों पर आधारित हैं अतः इसको साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवादपत्र में वादीगण द्वारा किये गये वाद के मूल्यांकन स्वीकृत नहीं किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि यह वाद वादीगण द्वारा विवादित मकान पर वादीगण का 1/2 भाग अलहदा करके दावा डिक्री किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दाखिल किया गया है। वादीगण द्वारा विवादित मकान की बाजारू कीमत मु0 3000/– रूपये पर मूल्यांकन किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का परीशीलन किया।

प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी ऐसा तथ्य व आंकडे न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया है जिससे न्यायालय यह अवधारित कर सके कि विवादित मकान का मूल्यांकन कम है।

उपरोक्त विवेचना को दृष्टिगत् रखते हुए न्यायालय के मत में वादीगण द्वारा किया गया मूल्यांकन नियमानुसार उचित है। वादीगण के पक्ष में वादबिन्दु सं0 5 सकारात्मक व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद बिन्दु संख्या– 5 वादीगण के पक्ष में सकारात्मक व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

सिविल जज (जू0डि0) अतर्रा
बांदा।

निस्तारण वादबिन्दु संख्या 6:–

उक्त वादबिन्दु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वाद में प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों पर आधारित हैं अतः इसको साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवादपत्र में वादीगण द्वारा किये गये वाद के मूल्यांकन के आधार पर प्रदत्त न्यायशुल्क को स्वीकृत नहीं किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

वादीगण द्वारा वाद के मूल्यांकन के 1/8 भाग पर न्याय शुल्क बावत बंटवारा तथा 1/5 भाग पर अदा की गयी है, जो कि पर्याप्त है।

सुना तथा पत्रावली का परीशीलन किया।

वादीगण द्वारा किये गये मूल्यांकन को न्यायालय द्वारा सही पाया गया है। वादीगण द्वारा इसी मूल्यांकन के आधार पर दिया गया न्यायशुल्क पर्याप्त प्रतीत होता है। वादीगण द्वारा किये गये मूल्यांकन पर मुंसरिम द्वारा आख्या दी गयी है कि न्यायशुल्क पर्याप्त है।

उपरोक्त विवेचना को दृष्टिगत् रखते हुए न्यायालय के मत में वादीगण द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर न्यायशुल्क पर्याप्त है। वादीगण के पक्ष में वादबिन्दु सं0 6 सकारात्मक व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद बिन्दु संख्या–6 वादीगण के पक्ष में सकारात्मक व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं0 7 दिनांक 07.02.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) अतर्रा
बांदा।